(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 65 / 2022

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2022 / 288

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ
(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री बिशन सिंह उम्र 40वर्ष पुत्र हरिचरण सिंह जाति यादव निवासी कोटा शिवपुरी रोड, देवरी शाहबाद जिला बारॉं(विक्रेता एवं मालिक) मै0 सांवरिया किराना स्टोर, कोटा शिवपुरी रोड, देवरी शाहबाद जिला बारां
2. मैसर्स सांवरिया किराना स्टोर, कोटा शिवपुरी रोड, देवरी शाहबाद जिला बारां
3. श्री राजकुमार मेहता पुत्र श्री चम्पालाल निवासी वार्ड नं. 10 सिविल लाईन, देवरी शाहबाद जिला बारां(मालिक) मैसर्स मेहता किराना स्टोर, देवरी तहसील शाहबाद जिला बारां
4. मैसर्स मेहता किराना स्टोर, देवरी तहसील शाहबाद जिला बारां
5. श्री किशनगोपाल अग्रवाल पुत्र बद्री प्रसाद अग्रवाल(मालिक) मैसर्स बद्रीप्रसाद एण्ड सन्स सरकारी अस्पताल के सामने, मंडी रोड, जिला बारां
6. मैसर्स बद्रीप्रसाद एण्ड सन्स सरकारी अस्पताल के सामने, मंडी रोड, जिला बारां
7. श्री कैलाश नंदन चंद्रबाली पाठक(नोमिनी) मैसर्स निरमा लिमिटेड सर्वे नं. 478–पी, विले. कालातलाव, जिला भावनगर गुजरात
8. श्री राजू निरंजन दवे(नोमिनी) मै.निरमा लिमिटेड सर्वे नं. 478–पी, विले. कालातलाव, जिला भावनगर गुजरात
9. मैसर्स निरमा लिमिटेड सर्वे नं. 478–पी, विले. कालातलाव, जिला भावनगर गुजरात

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोविन्द सहाय गुर्जर खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– स्वयं उपस्थित (अप्रार्थी क्र. 1 ता 6)
3– श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल उपस्थित (अप्रार्थी क्र. 7 व 8)
(कम्पनी की ओर से प्रतिनिधि)

निर्णय दिनांक 19.12.2022

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये श्री गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.08.2022 को सांवरिया किराना स्टोर, कोटा शिवपुरी रोड, देवरी शाहबाद जिला बारां(राज.) पर पहुंचा। वहॉ श्री बिशन सिंह पुत्र हरिचरण सिंह(विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:56:10 IST
Reason: SelfAttested

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.08.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक /एच/एफएसएसए/(एफ–28)नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझे बास सील संख्या 93 आवंटित की गई एवं श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राज. जयपुर के आदेश दिनांक 09.06.2022 के द्वारा मुझे कार्यक्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ आयोडाइज्ड एडिबल साल्ट(निरमा शुद्ध नमक) 01 किलोग्राम मूल पौली पैक के 20 नग में विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ आयोडाइज्ड एडिबल साल्ट(निरमा शुद्ध नमक) 01 किलोग्राम मूल पौली पैक में मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ आयोडाइज्ड एडिबल साल्ट(निरमा शुद्ध नमक) 01 किलोग्राम के 04 मूल पौली पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे, जिसकी कीमत श्री बिशन सिंह पुत्र हरिचरण सिंह(विक्रेता एवं मालिक) को 60/- रूपये (अक्षरे साठ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ आयोडाइज्ड एडिबल साल्ट(निरमा शुद्ध नमक) 01 किलोग्राम मूल पौली पैक को चार भागो मे बांटकर प्रत्येक पर नमूने का विवरण सहित लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-1546 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-1546 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री बिशन सिंह पुत्र हरिचरण सिंह(विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/248 दिनांक 08.09.2022 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1225/PHL/Kota/Act/2022/1227 दिनांक 30.08.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ आयोडाइज्ड एडिबल साल्ट(निरमा शुद्ध नमक) 01 किलोग्राम मूल पौली पैक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत मिथ्याछाप(Mis Branded) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:56:10 IST
Reason: Self Attested

इस पर प्रकरण दिनांक 18.11.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 [illegible] उपस्थित है। अप्रार्थी क्रम 7 व 8 की ओर से निरमा लिमिटेड कम्पनी द्वारा Letter of Authority के माध्यम से श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र प्रकाश चंद अग्रवाल पदनाम सेल्स सुपरवाईजर को प्रतिनिधि के रूप में भिजवाया गया है उसके द्वारा इस न्यायालय में उपस्थिति दी गई। अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नही किया जाकर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण मे अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ आयोडाइज्ड एडिबल साल्ट(निरमा शुद्ध नमक) 01 किलोग्राम पौली पैक को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत मिथ्याछाप(Mis Branded) होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 स्वयं एवं अप्रार्थी क्रम 7 व 8 की ओर से कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि सेम्पल में लिए गए खाद्य पदार्थ आयोडाइज्ड एडिबल साल्ट(निरमा शुद्ध नमक) 01 किलोग्राम में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं पाई गई है। पैकिंग में मिथ्याछाप होना पाया गया है जिसके सम्बन्ध में निवेदन है कि कम्पनी द्वारा नए पैकिंग में उक्त कमी को सही कर लिया गया है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त की जावें।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी क्रम 01 यदि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1225/PHL/Kota/Act/2022/1227 दिनांक 30.08.2022 से असन्तुष्ट था तो अप्रार्थी क्रम 01 को जरिये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये किन्तु अप्रार्थी क्रम 01 द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थी क्रम 01 से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ आयोडाइज्ड एडिबल साल्ट(निरमा शुद्ध नमक) 01 किलोग्राम पौली पैक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1225/PHL/Kota/Act / 2022/1227 दिनांक 30.08.2022 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की 3(1)(zf)(C)(i) के तहत मिथ्याछाप(Mis Branded) होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थीगण को प्रकरण मे कुल जुर्माना राशि 50,000/– रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये) की जुर्माना राशि के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:56:10 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)